राजस्व अपील संख्या : 53 / 2024
उनवान : चम्पा बनाम सांकलचन्द व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 53 / 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 152

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
1. चम्पा पुत्री स्व. हीराजी (धर्मपत्नि वेनाराम) जाति कुम्हार निवासी लुणावा तहसील बाली, जिला पाली (राज.)	बनाम	1. सांकलचंद पुत्र ओटाजी जाति कुम्हार, निवासी लुणावा तहसील बाली जिला पाली राज. 2. तहसीलदार बाली जिला पाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् कूटरचित अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर तहसीलदार बाली के प्रकरण संख्या 78 / 2023 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2024 एवं उक्त आदेश के अनुसरण में ग्राम लुणावा के नामान्तरकरण संख्या 2254 दिनांक 24.02.2024।

उपस्थिति :–

1. **अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार।**
2. **रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री मूलसिंह यादव।**

–:निर्णय:–

दिनांकः 14.02.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर कूटरचित अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर तहसीलदार बाली के प्रकरण संख्या 78 / 2023 उनवान सांकलचन्द में पारित आदेश दिनांक 19.02.2024 एवं उक्त आदेश के अनुसरण में ग्राम लुणावा के नामान्तरकरण संख्या 2254 जो तहसीलदार बाली के आदेश दिनांक 24.02.2024 को स्वीकृत किये जाने के विरुद्ध पेश की गई। प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया वादग्रस्त भूमि में हितबद्ध पक्षकार है अतः जैर आलोच्य नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करावें। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा लुणावा तहसील बाली के खाता संख्या 646 खसरा संख्या 1865, 1868, 1869, 1870, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1889 कुल रकबा 7.0300 हैक्टेयर की कृषि भूमि के 3 / 16 हिस्से के सहखातेदार भेरा पुत्र हीरा कुम्हार निवासी लुणावा की बिना वसीयत के मृत्यु दिनांक 28.12.2022 को होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की द्वितीय अनुसूची के वर्ग दो के अनुसार मृतक भेराराम के भाई बहिनों मे से एकमात्र जीवित बहिन चम्पा (अपीलार्थी) में निहित हुए परन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या एक सांकलचन्द ने उक्त 3 / 16 हिस्सा की भूमि एवं अन्य चल अचल सम्पति हड़पने के लिये स्वयं की बहिनों मन्जु, लीला, दरिया,, गोविन्दराम कुमावत, श्रवणसिंह राणावत व अन्य साथियों के साथ मिलकर अपराधिक षडयंत्र रचकर छल कपट के जरिये कूटरचना के जरिये कूटरचित वसीयतनामा तैयार किया जिसमें दिनांक 27.09.2023 का उल्लेख कर मृत भेराराम के फर्जी हस्ताक्षर किये। उक्त कूटरचित वसीयतनामा के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने उपरोक्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 53/2024

उनवान : चम्पा बनाम सांकलचन्द व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से मृत भेराराम का नाम विलोपित कर स्वयं के नाम प्रविष्टी करवाने हेतु नामान्तरकरण कार्यवाही के लिये आवेदन अपीलार्थी को पक्षकार बनाये बिना रेस्पोडेण्ट संख्या 02 को प्रस्तुत किया जिस आवेदन को रेस्पोडेण्ट संख्या 02 ने दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस जारी किये बिना एवं दैनिक समाचार पत्र से आम सूचना के प्रकाशन के अभाव में अपीलार्थी के बाला बाला तथाकथित गोविन्दराम पुत्र शंकरलाल कुमावत निवासी लुणावा, श्रवणसिंह पुत्र सरदारसिंह राणावत राजपूत निवासी बोया, सतीश विश्वकर्मा नोटरी बाली के बयान लेकर दिनांक 19.02.2024 को आदेश पारित किया। उक्त आदेश के अनुसरण में हल्का पटवारी के द्वारा ग्राम लुणावा तहसील बाली से अपीलाण्ट्स के बाला बाला तथाकथित तौर से दिनांक 24.02.2024 को स्वीकृत करवाया। इस प्रकार तहसीलदार बाली के प्रकरण संख्या 78/2023 में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 19.02.2024 एवं उक्त आदेश की पालना में ग्राम लुणावा तहसील बाली के नामान्तरकरण संख्या 2254 स्वीकृति दिनांक 24.02.2024 से अपीलार्थी को निहित हक हकूको से हस्तक्षेप करने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील रेस्पोडेण्ट के विरुद्ध मय धारा 96 सी0पी0सी0 का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार बाली की पत्रावली संख्या 78/2023 में दिनांक 19.02.2024 को पारित आदेश/निर्णय एवं उसके आधार पर ग्राम लुणावा के नामान्तरकरण संख्या 2254 स्वीकृति दिनांक 24.02.2024 को निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलार्थीया के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही सम्पन करावें।

प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को नोटीस जारी किया गए। रेस्पोन्डेट संख्या एक की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 प्रस्तुत किया, जिसे पूर्व के आदेश दिनांक 16.12.2024 द्वारा निर्णित करते हुए खारिज किया जा चुका है। उक्त निर्णय में प्रार्थी अधिवक्ता के प्रत्युत्तर को स्वीकार करते हुए न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा प्रकरण संख्या 78/2023 में जैर आलोच्य अपंजीकृत वसीयत को तस्दीक करने से पूर्व दैनिक समाचार पत्र में आपत्तियाँ आमंत्रण हेतु नोटिस प्रकाशन की कार्यवाही नहीं की गई। अतः तहसीलदार बाली द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 78/2023 निर्णय दिनांक 19.02.2024 को प्रथम दृष्टया एवं face of the record से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के प्रावधानान्तर्गत विवादित नामान्तरण के रूप में निर्णीत नहीं माना जा सकता एवं इस प्रकार उक्त निर्णय के विरूद्व अपील सुनने का न्यायालय हाजा को क्षैत्राधिकार होना अभिनिर्धारित किया गया।

हस्तगत अपील के संबंध में तहसीलदार बाली द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड पूर्व से शामिल पत्रावली है। प्रकरण में संबंध में अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत काबिल अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में अपीलार्थी श्रीमति चम्पा के स्वर्गीय भेराराम की सगी एवं एकमात्र जीवित सहोदर बहिन होने के नाते हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के द्वितीय वर्ग सपठित धारा 8 के प्रावधानान्तर्गत वैधानिक हक निहित है। यह कि, रेस्पोण्डेन्ट संख्या एक द्वारा कूटरचित वसीयतनामा तैयार करवाकर एवं तहसीलदार बाली द्वारा उक्त कूटरचित वसीयतनामे के आधार पर प्रकरण संख्या 78/2023 में प्रदत्त निर्णय दिनांक 19.02.2024 के द्वारा वादग्रस्त भूमि का नामांतरण रेस्पोण्डेन्ट संख्या एक के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गए, जो अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना जारी किये गए, जिस कारण उक्त निर्णय दिनांक 19.02.2024 एवं उसकी अनुपालना में स्वीकृत नामांतरण संख्या 2254 दिनांक 24.02.2024 को निरस्त किया जाए। काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा अपने तर्को के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए गए:–

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

1. Roop Kishor vs Raj kumari & otr.
   (BoR, RRT 2016 (1), Page 381)
2. Gavra Devi vs BoR & otr. (H.C.)
   (RRT 2008 (1), Page 548)
3. Suraj Bai vs Bhooli Bai
   (BoR, RRD 2012, Page 237)
4. Brij Mohan vs Mahaveer Prasad
   (BoR, RRT 2011(1), Page 646)
5. Brijsundar vs Kamlesh kumar
   (BoR, RRT 2009(1), Page 500)
6. Bhanwari vs Keshar
   (BoR, DNJ 2022(1), Page 442)
7. Jitendra Singh vs State of Madhya Pradesh
   (SC, 2021(2) DNJ, Page 964)
8. Bhanwar Lal vs Board of Revenue
   (HC, RRT 2018(1), Page 88)
9. Heera vs Mangla
   (BoR, RRT 2018(1), Page 246)
10. Parwanti vs Dayaram
    (BoR, RRT 2014(1), Page 196)
11. Rameshwar vs Ramswaroop
    (BoR, RRT 2022(1), Page 359)

रेस्पोडेण्ट संख्या एक की ओर से उपस्थित काबिल अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजी खाता संख्या 646 मौजा लुणावा वसीयतकर्ता स्वर्गीय भैराराम की आवंटनशुदा स्वअर्जित सम्पति थी, जिसे वसीयत करने का मृतक भेराराम को पूर्ण अधिकार था। रेस्पो. संख्या 01 मृतक भेराराम का सगा भतीज है जिसने वसीयतकर्ता की सेवा–सुश्रुषा एवं देखभाल की थी। यह कि, वसीयतनामा पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है, यहां तक कि बिना नोटेरी तस्दीक के कोरे कागज पर लिखा गया वसीयतनामा भी वैध एवं मान्य होता है। यह भी, कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा जैर आलोच्य वसीयतनामें के गवाहों व नोटेरीकर्ता को तलब कर एवं उनके बयान आदि लेखबद्व करने के उपरान्त अर्थात् विस्तृत जांच उपरान्त उक्त वसीयत के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या एक के पक्ष में नामान्तरण खोलने के आदेश दिए, जो पूर्णतः वैधानिक है। काबिल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने बहस के दौरान यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि अपीलाण्ट द्वारा जैर आलोच्य वसीयत को 'कूटरचित' बताया है और न्यायालयहाजा को किसी दस्तावेज को कूटरचित घोषित करने का क्षैत्राधिकार ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा प्रकरण संख्या 78/2023 में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2024 एवं उसकी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 53/2024

उनवान : चम्पा बनाम सांकलचन्द व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

अनुपालना में दर्ज नामान्तरण संख्या 2254 दिनांक 24.02.2024 पूर्णतः विधि अनुकूल होने से अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाए।

काबिल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किएः–

1. Kamlesh vs Ramlal
   (BoR, RRT 2021(1), Page 382)
2. Balraj Singh & Hosiyar singh
   (HC, RRT 2017(2), Page 1279)
3. Jogendra Singh vs Bikar Singh
   (BoR, RRT 2006-07 (Supp.), Page 59)

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। अपील मीमों तथा संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया।

अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा प्रदत्त निर्णय दिनांक 19.02.2024 एवं उसके अनुक्रम में दर्ज नामान्तरण संख्या 2254 दिनांक 24.02.2024 को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी गई हैः–

1. मृतक स्वर्गीय भेराराम की एकमात्र जीवित बहन होने के नाते अपीलाण्ट का प्रश्नगत आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 सपठित द्वितीय अनुसूची के द्वितीय वर्ग के आधार पर वैधानिक हक निहित है।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या एक द्वारा प्रस्तुत वसीयत 'कूटरचित' होने से कोई अधिकार सृजित नहीं करती है।
3. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा अपीलार्थीया को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना प्रकरण संख्या 78/2023 में निर्णय दिनांक 19.02.2024 से रेस्पोडेण्ट संख्या एक के पक्ष में प्रश्नगत आराजी का नामांतकरण दर्ज करने का आदेश दिया गया, जो अपास्त योग्य है।

उपरोक्त बिन्दुओ का पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा विभिन्न न्यायिक सिद्वान्तों के आलोक में विस्तृत विवेचन निम्नानुसार हैः–

प्रथमतः अपीलाण्ट ने हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के द्वितीय वर्ग तथा उक्त अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का अवलम्ब लेते हुए स्वयं को मृतक भेराराम की एकमात्र जीवित सहोदर बहन बताते हुए वादग्रस्त आरामजी में अपना वैधानिक हक निहित होना बताया है एवं इस आधार पर जैर अलोच्य निर्णय दिनांक 19.02.2024 एवं नामान्तरण संख्या 2254 दिनांक 24.02.2024 को अपास्त करने का निवेदन किया है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 निर्वसीयत हिन्दु पुरूष की सम्पति के अन्तरण को अधिनियमित करती है। हस्तगत प्रकरण में मृतक भेराराम द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या एक के पक्ष में दिनांक 27.06.2022 को नोटेरीशुदा एक वसीयत निष्पादित करना पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों से जाहिर होता है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा प्रकरण

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
... जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 78/2023 में तस्दीक करते हुए उक्त वसीयत के अधार पर रेस्पोडेण्ट के पक्ष में नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश दिए गए। **अतः मूल प्रश्न यह शेष रहता है कि क्या प्रश्नगत आराजी अपीलार्थिया के कथनानुसार मृतक भेराराम की स्वअर्जित सम्पति न होकर पुश्तैनी कृषि भूमि थी, जिसे वसीयत करने का मृतक भेराराम को अधिकार ही नहीं था।**

इस संबंध में तहसीलदार बाली द्वारा प्रेषित प्रकरण संख्या 78/2023 के मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया, जिसमें हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 11.09.2023 में अंकित है कि ग्राम लुणावा के खाता संख्या 646 में खातेदार भेरा पुत्र हीरा के हिस्से की भूमि सेटलमेण्ट के समय से उनके नाम से है।

साथ ही, प्रश्नगत वसीयत दिनांक 27.09.2022 में मृतक भेराराम द्वारा भी वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 646 की भूमि को स्वयं की आवंटनशुदा भूमि होना अंकन किया गया है।

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमों के संलग्न में तथा सम्पूर्ण सुनवाई के दौरान किसी भी स्तर पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जो उनके इस कथन की पुष्टि कर सके कि प्रश्नगत आराजी मृतक भेराराम की स्वअर्जित सम्पति न होकर पुश्तैनी कृषि भूमि थी। यहां यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि यदि अपीलाण्ट के कथनानुसार उक्त भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि होती, तो एक ही पिता स्वर्गीय हिराजी कुम्हार की संतान होने के नाते भेराराम के साथ साथ अपीलार्थिया श्रीमति चम्पा देवी का नाम भी उक्त भूमि में पूर्व से ही बतौर सहखातेदार दर्ज होता। किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से ऐसा सिद्व नहीं होता है।

काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट पक्ष ने अपील मीमों एवं बहस में यह कही भी स्पष्ट नहीं किया है कि यदि प्रश्नगत भूमि प्रार्थिया के कथनानुसार पुश्तैनी कृषि भूमि है, तो मृतक भेराराम की सगी बहन होने के नाते अपीलाण्ट का नाम उक्त भूमि में बतौर सहखातेदार क्यों अंकित नहीं है अथवा कब एवं किस आदेश से हटाया गया। **अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों में प्रश्नगत भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि होना सिद्व नहीं होता है तथा स्वअर्जित आवंटनशुदा भूमि को जरिए वसीयत अन्तरण करने का वसीयतकर्ता को पूर्ण अधिकार है।**

द्वितीयतः अपीलाण्ट द्वारा अपील मीमों के पैराग्राफ 08 में कुल 15 आधार अंकित करते हुए प्रश्नगत वसीयत दिनांक 27.09.2022 को 'कूटरचित' होना बताकर इसके आधार पर दर्ज नामांन्तरण संख्या 2254 दिनांक 24.02.2024 को अपास्त करने का निवेदन किया है।

महत्वपूर्ण है कि किसी दस्तावेज की प्रमाणिकता को निर्धारित करना अर्थात् उक्त वसीयत कूटरचित है अथवा नहीं के प्रश्न को तय करना राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। उक्त अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इस संबंध में अपीलाण्ट सक्षम न्यायालय में चराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा 'जोगेन्द्रसिंह बनाम् बीकरसिंह' प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 10.05.2006 (RRT 2006-07 (Supp) Page 59) में भी यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि राजस्व न्यायालय को इन्तकाल की कार्यवाही में वसीयत की वैधता की जांच करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

तृतीयतः– अपीलाण्ट द्वारा यह कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा प्रकरण संख्या 78/2023 में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना रेस्पोडेण्ट के पक्ष में अपंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने के आदेश दिए गए, जो अपास्त योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 53/2024

उनवान : चम्पा बनाम सांकलचन्द व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

यहां यह अंकित करना महत्पूर्ण है कि वसीयत में अंकित कृषि भूमि में अपीलाण्ट का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज नहीं था एवं प्रकरण संख्या 78/2023 में प्रस्तुत हल्का पटवारी की रिपोर्ट में प्रश्नगत भूमि सेटलमेण्ट के समय से ही वसीयतकर्ता के नाम दर्ज होना अंकित है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली से यह अपेक्षित नहीं था कि वसीयतकर्ता मृतक भेराराम के समस्त विधिक वारिसान को तलब कर उनके बयान इत्यादि लेखबद्व कर अपंजीकृत वसीयत की जांच करें। यहां आर.बी.जे. 2006 पेज 133 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्वान्त (पैरा 5) का उद्वरण करना समीचीन है–

"----------The scope before the revenue court is very limited, it is only supposed to examine whether the will was made or not and only a preliminary scrutiny can be made to understand the will properly....."

अर्थात् तहसीलदार को मात्र यह अभिनिर्धारित करना है कि वसीयत वास्तव में निष्पादित की गई थी अथवा नहीं, न कि वसीयत में अंकित भूमि में उनके वारिसानों के हिस्से का परीक्षण करना। प्रश्नगत वसीयत में मृतक भेराराम द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि को स्वयं की आवंटनशुदा भूमि अंकित किया गया था, तो तहसीलदार बाली से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह वसीयतकर्ता के द्वितीय श्रेणी के वारिसान को भी परीक्षणार्थ तलब करें। तहसीलदार बाली से यह अवश्य अपेक्षित था कि दैनिक समाचार पत्र में अथवा सार्वजनिक स्थलों पर चस्पानगी हेतु उजरदारी नोटिस इस परीक्षणार्थ जारी किए जाते कि प्रश्नगत वसीयत वसीयतकर्ता मृतक भेराराम द्वारा वास्तव में निष्पादित की गई है अथवा नहीं। **चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 78/2023 में उपरोक्तानुसार समाचार पत्र इत्यादि में उजरदारी संबंधी कार्यवाही नहीं की गई थी, अतः इसी आधार पर न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश आदेशिका दिनांक 16.12.2024 के द्वारा पूर्वोक्त प्रकरण संख्या 78/2023 में पारित निर्णय को 'प्रथमदृष्टया' तथा 'Face of Record' के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) की परिभाषा के अंतर्गत विवादित नामांतकरण के रूप में निर्णित करना नहीं माना एवं इसके विरूद्व अपील सुनने का न्यायालय हाजा द्वारा विनिश्चित किया गया।**

किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कारित उक्त प्रकियात्मक त्रुटि का यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि वसीयतकर्ता मृतक भेराराम के द्वितीय श्रेणी के वारिस के रूप में अपीलार्थिया को भी आलोच्य प्रकरण संख्या 78/2023 में सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था, जबकि उक्त भूमि वसीयतकर्ता द्वारा स्वयं की आवंटनशुदा भूमि के रूप में अंकित की गई हो।

अपीलाण्ट का यह तर्क भी परिपोषणीय नहीं है कि प्रश्नगत वसीयत पंजीकृत नहीं थी एवं अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर दर्ज नामान्तरण अवैधानिक है। **राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक/राज–6/97/3 दिनांक 13.02.1978 एवं परिपत्र दिनांक 18.02.1998 के द्वारा गैरपंजीकृत वसीयत के आधार पर भी जांच उपरान्त नामांतकरण की कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदान किए गए है।**

अन्ततः, हस्तगत प्रकरण में विस्तृत विश्लेषण उपरान्त एवं उपरोक्त वजूहातों के आधार पर न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली प्रकरण संख्या 78/2023 में पारित निर्णय दिनांक 19.02.2024 एवं उसकी अनुपालना में रेस्पोडेण्ट

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 53/2024

उनवान : चम्पा बनाम सांकलचन्द व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

संख्या एक के पक्ष में दर्ज नामांतरण संख्या 2254 दिनांक 24.02.2024 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जाए। निर्णय आज दिनांक 14.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली